

मांग संख्या 79
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के लिए सामग्री एवं पूर्तियां में दवाईयों के क्रय हेतु ₹3600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3600,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 से 3

नाबार्ड ऋण योजनांतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर परिसर में इंटीग्रेटेड चिकित्सालय की स्थापना हेतु कार्यालय फर्नीचर तथा उपकरण कार्य एवं गैर कार्यालयीन फर्नीचर हेतु ₹ 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, रायपुर हेतु आयुक्त (Commissioner) कार्यालय में 08 पदों के सृजन हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1.	आयुक्त	लेवल-14	01
2.	स्टेनोग्राफर	लेवल-7	01
3.	स्टेनोग्राफिस्ट	लेवल-4	01
4.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	02
5.	वाहन चालक	लेवल-4	01
6.	भूत्य	लेवल-1	02
पदों की संख्या			08

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4210

मद क्रमांक 5 से 6

नाबार्ड ऋण योजनांतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर परिसर में इंटीग्रेटेड चिकित्सालय की स्थापना हेतु भवनों का निर्माण हेतु ₹ 1.00 लाख एवं चिकित्सकीय उपकरण हेतु ₹1.00 लाख इस प्रकार कुल 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के अधिग्रहण हेतु भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए भवनों का क्रय हेतु ₹ 1,155.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 11,55,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग अधिग्रहण हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹5000.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹50,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

ढद कढांक 9 से 10

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के अधिग्रहण हेतु चिकित्सकीय उपकरण हेतु 1256.28 लाख एवं भवन निर्माण हेतु 4016.76 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹5273.04 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 52,73,04,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।